(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 04/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 13.01.2025 निर्णय दिनांक : 11.02.2025

1. बिमला देवी पत्नी स्व0 सत्यप्रकाश
2. रामनरेश पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश
3. इन्द्रजीत पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश
   जातियान अहीर निवासीयान ग्राम गोकुलपुर, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश देवी पत्नी कंवरसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम गोकुलपुर, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. ।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने प्रकरण स्थानान्तरण, राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 27/2023, बउनववानी मुकेश देवी बनाम सत्यप्रकाश, जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज.) के समक्ष न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संजू यादव अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता – अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष उनवानी प्रकरण मुकेश देवी बनाम सत्यप्रकाश मुकदमा संख्या 27/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीया की ओर से वकील श्री विनोद कुमार यादव ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत रखी जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीया की ओर से सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी मुकेश देवी बनाम सत्यप्रकाश, विचाराधीन है। प्रकरण में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीया मुकेश देवी से साजबाज हो गये हैं तथा अप्रार्थीया मुकेश देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीया के पक्ष में शीघ्र निस्तारण करने के लिये प्रत्येक 2–3 दिन की तारीख पेशी नियत कर लगातार प्रकरण में अप्रार्थीया के पक्ष में आदेश पारित करने एव मिन प्रार्थीगण की आराजीयात में से जबरन अपने पद का दुरूपयोग कर विधि के प्रावधानों की आड़ में रास्ता कायम करने पर आमादा है ताकि अप्रार्थीया मुकेश देवी को नाजायज लाभ पहुँचाया जाकर मिन प्रार्थीगण को तंग परेशान किया जा सके। अप्रार्थीया मुकेश देवी गांव में सरेआम ऐलानिया कहती घूम रही है कि वह हर सूरत में अपने पैसों की ताकत पर सक्षम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में कर लिया है तथा जल्द ही मिन प्रार्थीगण की आराजीयात में से जबरन रास्ता कायम करके रहेगी जबकि अप्रार्थीया मुकेश देवी को चाहा गया रास्ता अन्यत्र आराजीयात से सुविधाजनक एवं कायम है प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से उपरोक्त प्रकरण में कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में यदि प्रकरण को सक्षम न्यायालय उपखण्ड बहरोड़ से अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो अप्रार्थीया मुकेश देवी अपने नापाक मन्सूबों में कामयाब हो जावेगी जिससे मिन प्रार्थीगण को भारी क्षति कारित होगी। प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के पीठासीन अधिकारी को काफी समझाया कि मिन प्रार्थीगण की आराजीयात से अप्रार्थीया का कोई रास्ता कायम नहीं हो सकता है तथा मौके की पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा मिन प्रार्थीगण की कोई सुनवाई नहीं कर लगातार अप्रार्थीया के हित में आदेश पारित करने की जूस्तजू में है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में विचाराधीन प्रकरण सं. 27/2023 उनवान मुकेश देवी बनाम् सत्यप्रकाश वगै अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए को अन्यत्र किसी सक्षम

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल करने का आदेश फरमावें।

4. वकील अप्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की अप्रार्थीया द्वारा अपने मकानों में आने जाने के लिए प्रार्थीगण की आराजी में से रास्ते की मॉग हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र किया है, जो वर्ष जुन 2023 से पेडिंग हैं जिस प्रकरण में अगस्त 2024 में प्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा पेश कर दिया गया था प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट रास्ते के संबंध में प्राप्त हो चुकी हैं लेकिन प्रार्थीगण येन केन प्रकरेण प्रकरण को लम्बा कर रहे हैं जिनके द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय तक अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया हैं, कानूनन जवाब के लिए 30–90 दिन का समय विधि द्वारा नियत किया गया हैं लेकिन प्रार्थीगण ने 1 वर्ष 6 माह से भी अधिक समय तक मूल प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया हैं, न्यायालय बार बार जवाब के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं बावजुद इसके प्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी पर झूठे व मनघडनत आरोप लगाकर प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते हैं। अप्रार्थीया की आराजी पर आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। धारा 251–क आर टी ए के प्रावधान के तहत मिन अप्रार्थीया को दिये जाने वाले रास्ते में प्रार्थीगण जो जमीन जायेगी उसकी डी एल सी रेट की राशि अप्रार्थीया द्वारा अदा किये जाने के बाद रास्ते रेवेन्यू रिकॉर्ड में कायम किया जावेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिनुसार कार्यवाही की जा रहीं हैं, प्रार्थीगण को जवाबदेही के लिए बार बार समय दिया जा रहा हैं। प्रकरण को यदि अन्यत्र स्थानान्तिरित किया जाता हैं तो दोनों पक्षों को प्रकरण में नये अधिवक्ता नियुक्त करने पड़ेगें, तारिख पेशी पर दूर आना जाना पडेगा जिसमें बेवजह परेशानी होगी। अन्त में वकील अप्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जावें।

5. उपखण्ड अधिकारी ने बिन्दूवार टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में मनमाने तथ्य अंकित किये है, जो सारहीन है। विचाराधीन प्रकरण रास्ते से संबधित होने के कारण त्वरित निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में कोई बहस नहीं हुई है एवं पत्रावली तहसीलदार बहरोड़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस मौका रिपोर्ट में लम्बित है।

6. वकील उभय पक्षकारान को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ की बिन्दुवार टिप्पणी एवं पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण बउनवान मुकेश देवी बनाम सत्यप्रकाश अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें तहसीलदार बहरोड़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा पत्रावली बहस मौका रिपोर्ट हेतु लम्बित है। उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मात्र कयास के आधार पर प्रस्तुत किया है जो न्यायोचित नही है। पत्रावली के अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। इस प्रकार प्रार्थीगण की मन्शा उचित प्रतीत नहीं होती है तथा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़
जिला कलक्टर
कोटपतली–बहरोड़